भारत सरकार

योजना मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3991

दिनांक 12.08.2026 को उत्तर देने के लिए

स्वर्ण बाज़ार में सुधार और सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं से संबंधित नीति आयोग की रिपोर्ट

3991. श्री परषोत्तमभाई रूपाला:

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नीति आयोग ने भारत में "स्वर्ण बाजार पारितंत्र परिवर्तन" शीर्षक से अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं, इसके कार्यान्वयन की स्थिति क्या है और संबंधित मंत्रालयों, विनियामकों, सरकारी एजेंसियों और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नीति आयोग ने केन्या सरकार द्वारा हाल ही में किए गए सुधार सहित स्वर्ण क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय विधिक ढाँचों की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इसने भारत को स्वर्ण शोधन, बुलियन ट्रेडिंग, मूल्यवर्धन, पुनर्चक्रण और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से उपयुक्त सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं को अपनाने की सिफारिश की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं
राज्यमंत्री, संस्कृति मंत्रालय

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) भारत के स्वर्ण बाज़ार की क्षमताओं का दोहन करने तथा निर्यात, आर्थिक वृद्धि एवं रोज़गार को बढ़ावा देने के उपायों की सिफारिश करने के लिए नीति आयोग द्वारा अगस्त 2017 में नीति आयोग के तत्कालीन प्रधान सलाहकार की अध्यक्षता में 'भारत के स्वर्ण बाज़ार में

बदलाव' पर एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति द्वारा भारत के स्वर्ण बाज़ार के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों, भारतीय रिज़र्व बैंक, उद्योग संघों और शिक्षा जगत के प्रतिनिधियों सहित स्वर्ण इको सिस्टम से जुड़े विविध हितधारकों को एक मंच पर लाया गया । समिति ने स्वर्ण बाज़ार से संबंधित विभिन्न विषयों पर गठित उप-समूहों के माध्यम से हितधारकों के एक व्यापक समूह के साथ गहन परामर्श किया।

समिति की अंतिम रिपोर्ट फरवरी 2018 में सरकार के विचारार्थ सौंपी गई थी। समिति की प्रमुख सिफारिशों को पाँच मुख्य केंद्र क्षेत्रों में संरचित किया गया था। ये थे: (क) मेक इन इंडिया इन गोल्ड; (ख) सोने का वित्तीयकरण; (ग) कर और शुल्क संरचना; (घ) विनियामक अवसंरचना; और (ङ) कौशल विकास एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन।

इसके बाद, नीति आयोग समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, अन्य बातों के साथ-साथ, स्वर्ण बाज़ार में बदलाव के लिए सरकार द्वारा कई पहलें की गईं। इनमें सोने को एक वित्तीय संपत्ति के रूप में विकसित करने के लिए नीतिगत उपाय, गिफ्ट-आईएफएससी में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की स्थापना, सोने के आभूषणों के लिए अनिवार्य हॉलमार्किंग को सुव्यवस्थित एवं विस्तारित करना और स्वर्ण मुद्रीकरण योजना का पुनरुद्धार शामिल है।

(ख) एवं (ग) इस रिपोर्ट में तुर्की में स्वर्ण व्यापार के उदारीकरण और इस्तांबुल गोल्ड एक्सचेंज की स्थापना, लंदन बुलियन मार्केट के मानक मानदंडों और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों की स्वर्ण खनन नीतियों सहित अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण बाज़ारों में सर्वोत्तम प्रथाओं का परीक्षण किया गया। इनके अनुभवों के आधार पर, समिति ने, अन्य बातों के साथ-साथ, भारत को स्वर्ण शोधन, बुलियन ट्रेडिंग, आभूषण निर्माण, निर्यात आदि के केंद्र के रूप में स्थापित करने के उपायों की सिफारिश की। हालाँकि, इस रिपोर्ट में केन्या सरकार द्वारा किए गए विधायी सुधारों की किसी विशिष्ट सिफारिश हेतु अध्ययन शामिल नहीं है।